


प्रमाण पत्र

भारत की भवन निर्माण संहिता -2005 में उल्लेखित शैक्षिक भवनो के लिए प्राविधानिक नियम के अनुसार दिनांक 29.10.6.2006 को न्यू एंजिल्स सी.से. स्कूल, कटरा रोड प्रतापगढ़ का निरीक्षण मानचित्र एवं निम्न प्रारूप/ चेकलिस्ट के अनुसार किया गया।

शैक्षिक भवनो के लिए प्राविधानित व्यवस्था नियमानुसार पायी गयी।

1. शिक्षण कक्ष ऊंचाई- 3.00 से 3.60 मी0 होनी चाहिए।.....
2. यदि शिक्षण कक्ष के साथ बरामदा है तो उसकी चौड़ाई- 2.00 मी0 होनी चाहिए।.....
3. शिक्षण कक्ष के आकार के अनुसार 1/8 भाग खुला होना चाहिए।.....
4. यदि प्रथम तक अथवा अधि कतल तक स्थिति में सीढ़ी की ऊंचाई-1.50 मी0 होनी चाहिए।.....
5. सीढ़ी का पायदान 30 सेमी0 होना चाहिए।.....
6. सीढ़ी की ऊंचाई- 15 सेमी0 होनी चाहिए।.....
7. बीम की साइज कमरे के आकार के अनुसार
8. निर्मित भवन की गुणवत्ता, आकार एवं डिजाइन ।.....
9. पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।.....
10. शौचालय बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग अलग होनी चाहिए।.....
11. निर्मित भवनो का रूफ एरिया 300 वर्ग मी0 से अधिक होने पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान होना चाहिए।.....

सहायक अभियन्ता  
सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय सड़क लोडिंग विभाग  
प्रांतीय सड़क लोडिंग विभाग  
प्रतापगढ़ 11/08

  
PRINCIPAL  
New Angels Sr. Sec. School  
School No.-71126  
Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

  
MANAGER  
NEW ANGELS SR. SEC. SCHOOL  
PRATAPGARH, U.P.